

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक 2958/कोरोना सेल/2020

रायगढ़ दिनांक 28/मार्च/2020

जिला अग्रणी बैंक अधिकारी द्वारा अग्रणी बैंक, रायगढ़ (छ.ग.) के पत्र क्र. अग्रणी बैंक/रायगढ़/2019-20/168 दिनांक 28.03.2020 में निवेदन अनुसार बैंक कर्मियों एवं ग्राहकों के आवागमन में हो रही परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए जिले में संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक, जिला सहकारी बैंक एवं प्रायवेट बैंकों के समय परिवर्तन सुबह 08.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाती है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(यशवंत कुमार)
कलेक्टर

4 एवं जिला दण्डाधिकारी
28/03 रायगढ़ (छ.ग.)

पृ0क.2958/कोरोना सेल/2020

रायगढ़ दिनांक 28/मार्च/2020

प्रतिलिपि :-

1. सचिव छ0ग0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव छ0ग0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
5. अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
6. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला-रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
7. अग्रणी बैंक अधिकारी, जिला-रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।
8. सहायक संचालक, जनसम्पर्क जिला कार्यालय रायगढ़ को दैनिक सामाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।

कलेक्टर

4 एवं जिला दण्डाधिकारी
28/03 रायगढ़ (छ.ग.)